पत्र संख्या–3/एम.–06/2008का 770/

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग ।
सभी विभागाध्यक्ष ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक 12 जनवरी, 2008

विषय :– सरकारी सेवकों द्वारा आचार नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन कर लोक उपक्रमों संस्थानों से सुविधाएँ/आतिथ्य स्वीकार करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों तथा अन्य सरकारी सेवकों द्वारा लोक उपक्रमों/संस्थानों से आवासीय एवं वाहन की सुविधा प्राप्त की जा रही है और उन उपक्रमों से शानदार पार्टियाँ आयोजित करायी जा रही हैं तथा उनका विलासपूर्ण आतिथ्य स्वीकार किया जा रहा है । यह बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–14(1) में परिभाषित प्रीतिदान (Gift) की श्रेणी में आता है अतः निषेध्य है, और सरकार या विहित प्राधिकार की पूर्व मंजूरी के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है । जो सरकारी सेवक ऐसा करते हैं वे उक्त आचार नियमावली के उक्त नियम का उल्लंघन करने के दोषी हैं ।

2. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–14(1) को, सहज संदर्भ हेतु, नीचे उद्धृत किया जाता है :–

"14. प्रीतिदान।–(1) जहाँ इस नियमावली में अन्यथा उपबंध है वहाँ छोड़कर कोई सरकारी सेवक, सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई प्रीतिदान स्वीकार न करेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी ओर से काम कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को कोई उपहार स्वीकार करने की अनुमति न देगा ।

स्पष्टीकरण।–इस नियम के प्रयोजनार्थ 'प्रीतिदान' के अंतर्गत सरकारी सेवक से कोई पदीय संबंध न रखने वाले निकट संबंधी या व्यक्तिगत मित्र से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया मुफ्त परिवहन, मुफ्त भोजन, मुफ्त आवास या कोई अन्य सेवा अथवा आर्थिक लाभ आते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत आकस्मिक भोजन, आकस्मिक प्रीतिदान या अन्य सामाजिक आतिथ्य नहीं आते हैं ।

टिप्पणी–सरकारी सेवक (i) अपने साथ पदीय संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति का या किसी औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक फर्म, संगठन आदि का खर्चीला या बारम्बार आतिथ्य स्वीकार करने से, और (ii) किसी सार्वजनिक भवन के शिलान्यास या किसी समारोह के अवसर पर भेंट की गई कोई करनी, चाभी या ऐसी अन्य वस्तुएँ स्वीकार करने से परहेज करेगा ।"

3 अनुरोध है कि उक्त निषेधात्मक प्रावधान से अपने सभी अधीनस्थ सरकारी सेवकों को अवगत करा दें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करावें । साथ ही, यदि आचार नियमावली के उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी सरकारी सेवक द्वारा लोक उपक्रमों आदि से आवासीय सुविधा लिये जाने, उनसे वाहन की सुविधा प्राप्त करने, उन उपक्रमों से शानदार पार्टियाँ आयोजित कराने तथा उनका बिलासपूर्ण आतिथ्य स्वीकार किये जाने का कोई मामला हो तो तत्संबंधी सरकारी सेवक की चारित्री में प्रतिकूल अभ्युक्ति अंकित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु समुचित रूप में आरोप पत्र गठित कर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार को भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन,

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

D:\Dhar Personnal\Sec.3\\ i ay\Circular.doc